2

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
हिराराम बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर)
सू.अ.अ. अपील संख्या 06/2018</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>14.02.18</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हिराराम पुत्र घेवरराम,पता ग्राम कास्टी पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.11.17 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत कार्यालय कास्टी, पं.सं. बावड़ी जिला जोधपुर के ग्राम कास्टी के राशन प्राप्त कर्ताओं की प्रमाणित सूची व अन्य 8 बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>